

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

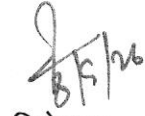
सं०-4 / निदे० अनु० जनजाति आ० वि० (राज्य स्कीम) 181-03 / 2026 144

08/09/2026

शुद्धि-पत्र

विभागीय आवंटनादेश संख्या-127 दिनांक-21.08.2026 के कंडिका-2 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277 शिक्षा-0106-आवासीय विद्यालय के प्राथमिक इकाईयों-0106.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग संख्या-44 विपत्र कोड सं०-44.2225012770106 के स्थान पर उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277 शिक्षा-0106-आवासीय विद्यालय के प्राथमिक इकाईयों-0106.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग संख्या-44 विपत्र कोड सं०-44.2225022770106 पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिकायें यथावत रहेगी।

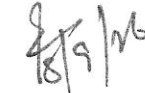


निदेशक

ज्ञापक-सं०-4 / निदे० अनु० जनजाति आ० वि० (राज्य स्कीम)- 181-03 / 2026-144 पटना, दिनांक-08/09/2026
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत / जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण / जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया) / अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / उप निदेशक, (मु०) अनु० जाति एवं अनु० जाति कल्याण विभाग / आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक